RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक १] मंगळवार, फेब्रुवारी २, २०१६/माघ १३, शके १९३७ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००३२,
दिनांकित १६ जनवरी, २०१६ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १, सन् २०१६ ।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १६ जून २०१५ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि १३ जुलाई २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधान सभा विधेयक क्र. २८), १४ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात, ३१ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा तथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधान मंडल के पुन: समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात्, अर्थात २३ अगस्त २०१५ के बाद प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है और, इसलिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रखना) अध्यादेश, २०१५ (जिसे इसमें आगे, " जारी रहना अध्यादेश " कहा गया है) महाराष्ट्र के राज्यपाल ने २१ अगस्त २०१५ को प्रख्यापित किया था ; सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६।

और क्योंकि ७ दिसंबर २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुन: समवेत होने पर, उक्त जारी रहे अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम मे संपरिवर्तित करने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधानसभा विधेयक क्र. ५१) ८ डिसेंबर २०१५ की महाराष्ट्र विधानसभा मे पुर:स्थापित किया गया था ;

और क्योंकि २३ दिसंबर २०१५ को, महाराष्ट्र विधानसभा का सत्रावसान होने के कारण, उक्त विधेयक, महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त जारी अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन: समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १७ जनवरी, २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि उक्त जारी रहे अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त जारी रहे अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रखना) अध्यादेश, २०१६ कहलाए ।

(२) यह १६ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा १३, की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :– सन् १९६४ का महा. २०।

" (१ग) (क) राज्य सरकार, **राजपत्र** में किसी आदेश द्वारा,—

(एक) चार विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) ते अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड, रुपयों से अधिक है ; और

(दो) दो विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिती पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड रुपयों तक है, को नियुक्त कर सकेगी,

जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, अर्थशास्त्रीय या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे।

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त विशेष निमंत्रितियों को, बाजार समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परंतु, उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(ग) विशेष निमंत्रितियों की पदावधि, बाजार समिति के सदस्यों की पदावधि के साथ ही सह-पर्यवसित होगी ।"।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६।

३. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा प्रत्याहृत किया जाता है।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६ के प्रत्याहरण द्वारा निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे प्रत्याहरन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश या की गई नियुक्ति समेत) इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी के उपबंधों अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), बाजार क्षेत्रों मे, कृषि और कतिपय अन्य उपज के विपणन और इसलिए राज्य में स्थापित निजी बाजारों और किसान ग्राहक बाजारों समेत बाजारों के विकास और विनियमन के लिये ; ऐसे बाजारों के संबंध में गठित या संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य कर रही बाजार समितियाँ को शक्ति प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों के अधिक प्रभावी और सुचारू कार्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार, बाजार समितियों पर विशेष निमंत्रितियाँ के रुप में कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, अर्थशास्त्रीय और वाणिज्य क्षेत्रों में से विशेषज्ञों की नियुक्ति करना इष्टकर समझती थी, ताकि बाजार समिति को, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान द्वारा लाभ होगा। यह भी उपबंध करने के लिये प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे विशेष निमंत्रितियों को समिति की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु, उन्हें मत देने का अधिकार नही होगा। उस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा १३ में एक नयी उप-धारा (१ग) को निविष्ट करना प्रस्तावित किया गया था।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४) १६ जून २०१५ को प्रख्यापित किया गया था।

४. तत्पश्चात्, १३ जुलाई २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में संपरिवर्तित करने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधान सभा का विधेयक क्र. २८), १४ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान सभा में पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, ३१ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान परिषद् का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नही किया जा सका था।

५. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के उपबंधों के प्रवर्तन द्वारा, उक्त अध्यादेश, २३ अगस्त २०१५ के पश्चात्, जिस दिनांक को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने से छह सप्ताह के अवसान पर अर्थात् २३ अगस्त २०१५ के पश्चात् प्रवर्तित होने से परिविरत हो जायेगा और महाराष्ट्र सरकार, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझती थी और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६) २१ अगस्त २०१५ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

६. तत्पश्चात्, ७ दिसंबर २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त जारी रहे अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में संपरिवर्तित करने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधानसभा विधेयक क्र. ५१) ८ दिसंबर २०१५ को महाराष्ट्र विधानसभा में पुरःस्थापित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, २३ दिसंबर २०१५ को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका था।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित ७ दिसंबर २०१५ को राज्य विधानमंडल पुनः समवेत हुआ था, उक्त जारी रहा अध्यादेश १७ जनवरी २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत होगा, और महाराष्ट्र सरकार उक्त जारी रहे अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझती है।

७. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६) के उपबंधों को जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित १६ जनवरी २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

दिनेश कुमार जैन,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.